न्यायालय जिला कलक्टर कोटा

पीठासीन अधिकारी– पीयूष समारिया, IAS
प्रकरण संख्या 10 / 2025
जीसीएमएस नं0 2025 / 132

श्रीमती नन्द कंवर पत्नि रेवड़ीलाल मालव ग्राम व पोस्ट रेलगांव
वाया सीमलिया जिला कोटा राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः– 08.10.2025

अपील का सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती नन्द कंवर पत्नि रेवडीलाल मालव ग्राम पोस्ट रेलगांव वाया सीमलिया जिला कोटा राज0 ने दिनांक 30.07.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहां आवेदन प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई–

1. प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुझ प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 4.2.2025 तक भरवाई गयी रसोई गैस सिलेण्डर की सब्सिडी मेरें जन आधार खाता संख्या 100215369555 में दिनांक 25 मार्च 2025 को आ चुकी है, जिसके बाद मुझ प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 03.06.2025 व 19.7.2025 को रसाई गैस भरवाई गयी है जिसकी सब्सिडी मुझे जन आधार खाते के माध्यम से प्राप्त नहीं हुयी है, कृपया उपरोक्तानुसार मुझ प्रार्थी को आर टी आई 2005 के तहत इस आशय की सूचना उपलब्ध करवायी जावे कि मेरे द्वारा दिनांक 3.6.2025 व 19.7.2025 को भरवाई गयी रसोई गैस सिलेण्डर की सब्सिडी मेरे जन आधार खाता संख्या 100215369555 मे कोन से कारण से नहीं आई, तकनीकि समस्या के कारण से या अन्य कोई कारण से या फिर बजट के अभाव में जिसकी विस्तृत जानकारी यथा शीघ्र उपलब्ध करवायी जावें ।
2. NFSA लाभार्थियों के द्वारा रसोई गैस सिलेण्डर भरवाने के बाद उसके संबंधित जन आधार खाते में सब्सिडी जारी करने की निर्धारित समय सीमा कितने दिवस की है, जिसकी विस्तृत जानकारी आर टी आई के तहत यथा शीघ्र उपलब्ध करवायी जावें ।
3. प्रथम तथा द्वितीय अपील अधिकारी का नाम, पद नाम व विभाग का नाम बताया जावें ।
4. उक्त प्रकार के आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए शासन / विभागाध्यक्ष के द्वारा सर्कुलर जारी किया है, जिसमें समय सीमा निर्धारित की गयी है वह बतायी जावे तथा ऐसे सर्कुलर की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध करवायी जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

उक्त सूचना नहीं मिलने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.09.2025 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा से टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक/रीडर/डीएम/2025/350 दिनांक 17.9.2025 से लिखा गया तथा अपीलार्थी को भी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पत्रांक/351 दिनांक 17.09.2025 से लिखा गया किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित है । लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा ने अपने पत्रांक//रसद/आर टी आई/2025/121 दिनांक 6.10.2025 से टिप्पणी मय मय पत्रावली प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्रीमती नन्द कंवर पत्नी श्री रेवडीलाल मालव, निवासी ग्राम रेलगांव वाया सीमलिया, कोटा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना चाहने पर उक्त आवेदन पत्र के कम में पत्र कमांक/रसद/आर टी आई /2025/101 दिनांक 04.09.2025 से आवेदक को आवेदन में अंकित पते श्रीमती नन्द कंवर पत्नी श्री रेवडीलाल मालव, निवासी ग्राम रेलगांव वाया सीमलिया, कोटा पर सूचना प्रेषित कर दी गई है ।

हमने प्रार्थी अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2025 का अवलोकन किया, प्रस्तुत आवेदन से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा आवेदन से चाही गई सूचना उनके पत्रांक/ रसद/2025/ 101 दिनांक 04.09.2025 से प्रार्थीया को भिजवाई जा चुकी है, किन्तु चाही गई सूचना नियत समयावधि 30 दिवस में नहीं भिजवाई गई है । लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को समय सीमा में निस्तारण सुनिश्चित करें ।

परिणामतः आवेदक अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जाने से अब इस अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलक्टर कोटा